सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

द्वादश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 28 माघ 1935 (श0) / 17 फरवरी, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 43

(1)	गृह विभाग	..	..	23
(2)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	04
(3)	वित्त विभाग	..	..	02
(4)	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	04
(5)	सांस्थिक वित्त विभाग	..	..	02
(6)	गन्ना उद्योग विभाग	..	..	01
(7)	उद्योग विभाग	..	..	04
(8)	वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
(9)	कारा विभाग	..	..	01
(10)	निर्वाचन विभाग	..	..	01
			कुल योग —	43

कर की वसूली

* 1. श्री अजीत कुमार––क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अप्रील, 2005 में राज्य में लागू वैट अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रतिकूल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यवसायियों से विक्रय कर (वैट) नहीं लेकर राज्य के बाहर से क्रय किये माल में 25 से 40 प्रतिशत जोड़कर तत्काल कर (वैट) की वसूली की जा रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

––––––––––

भवन का निर्माण

* 2. श्रीमती रंजुगीता––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी अनुमंडल वर्तमान में ई० किसान भवन पुपरी में से अनुमंडल स्तरीय सारे प्रशासनिक कार्य सम्पन्न होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल का प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य 2010 में प्रारम्भ हुआ लेकिन अभी तक भवन का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है ?

––––––––––

भवन का निर्माण

* 3. श्री सोनेलाल हेम्ब्रम––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया थाना अन्तर्गत जयपुर आरक्षी ओ० पी० करीब दस वर्षों से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जयपुर ओ० पी० नक्सल प्रभावित है और जयपुर ओ० पी० टूटे–फूटे प्राइवेट मकान में वर्षों से चल रहा है जो असुरक्षित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जयपुर आरक्षी ओ० पी० का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

––––––––––

घेराबन्दी कराना

* 4. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत राजपुर बहुअरा हरिवंश में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, जिससे कभी–कभी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का सरकार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

––––––––––

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

* 5. श्री जनक सिंह––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के ग्राम– निपनिया में कब्रिस्तान की घेराबन्दी वित्तीय वर्ष 2011–12 में शुरू की गई है जो कि अभीतक कार्य पूरा नहीं किया गया, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

* 6. श्री मनोहर प्रसाद सिंह---क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत दिल्ली दिवानगंज, महानन्दा नदी के किनारे है और अमदाबाद आने के लिए नाव से पार होने पर 20 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैंक की कोई सुविधा नहीं रहने के कारण आमलोगों एवं व्यवसायियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर ग्रामीण बैंक की एक शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लंबित रखने का औचित्य

* 7. श्री राजेश्वर राज---क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शिक्षित बेरोजगारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना कर जीविकोपार्जन हेतु पूरे राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवेदन प्राप्त कर ऋण स्वीकृति हेतु साक्षात्कार एक वर्ष में तीन बार लिये जाने का सरकारी प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास द्वारा वर्ष 2013–14 में मात्र एक बार ही साक्षात्कार लिये जाने से हजारों आवेदन लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आवेदनों को लंबित रखने का औचित्य क्या है ?

भूमि उपलब्ध कराना

* 8. श्री अरूण शंकर प्रसाद---क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना को 13 अक्टूबर, 2012 को उपद्रवियों द्वारा जला दिया गया, जिस कारण भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि एवं भवन के अभाव में पुलिस बल को अपराध नियंत्रण करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक भूमि उपलब्ध कराकर नये थाना भवन का निर्माण कराना चाहती है ?

छात्रावास का पुनर्निर्माण

* 9. श्री रामदेव महतो---क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला मुख्यालय में अवस्थित अल्पसंख्यक छात्रावास विगत 3 वर्षों से जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रावास का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

* 10. श्री वीरेन्द्र सिंह---क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र नहीं रहने से प्रखंड के 19 पंचायतों की जनता को आगजनी होने पर काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

वेतन में वृद्धि

*11. श्री अवधेश कुमार राय——क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों, कार्यपालक सहायकों के नियत वेतन में वृद्धि करने के संबंध में 2012 से ही विचार किया गया था किन्तु आजतक वेतन वृद्धि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों, कार्यपालक सहायकों के वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा की स्थापना

*12. डॉ0 दाउद अली——क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है, परन्तु दिनांक 25 नवम्बर, 2013 तक अनुमंडल कारा की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बक्सर जिला के डुमराँव अनुमंडल में अनुमंडल कारा की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*13. श्री अम्बिका सिंह——क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के विछियां, डुमरी, सरैया, महमुदगंज, चेहरिया (तकिया), मंसूरपुर नुआंव प्रखंड के भुगनपुर कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*14. श्रीमती गुड्डी देवी——क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के युसूफिया रहिमिया बाथ असली मदरसा विद्यालय का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2010–11 में रजिस्ट्रेशन सं0 2112/2010–11 किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 286 छात्र/छात्राएं का पठन–पाठन तीन कमरों में होता है, जो जर्जर हो गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा के लिये वक्फ बोर्ड के नाम से 4 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री की गई है जिसका खाता नं0 1706, खेसरा नं0 5149 है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मदरसा में अतिरिक्त भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी निकासी करनेवाले के विरुद्ध कार्रवाई

*15. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी——दिनांक 6 जनवरी, 2013 को स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित शीर्षक "कहां गये 5 करोड" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा स्थित बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता द्वारा

3 सितम्बर, 2011 को बहादुरपुर थाने में इसलिए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि पंजाब नेशनल बैंक से वहा के कर्मियों की मिलीभगत से 1 करोड़ की फर्जी निकासी की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक फर्जी निकासी के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे राशि वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो फर्जी निकासी करने वालो के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अनुमंडल बनाना

*16 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड मुख्यालय से दूर होने के कारण प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने मे काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नबीनगर प्रखंड का क्षेत्रफल मगह प्रमंडल में सबसे बड़ा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नबीनगर प्रखंड अनुमंडल बनने के सभी मानक को पूरा करता है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नबीनगर को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी पूर्ण कराना

*17 श्री राजेश्वर राज––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट प्रखंडान्तर्गत ग्राम काराकाट में अवस्थित कब्रिस्तान का वर्ष 2011 में की गई घेराबंदी कार्य मे पश्चिम दिशा में 150 फीट की दूरी की घेराबंदी आजतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की पूर्ण घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*18 श्रीमती गुलजार देवी––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अन्तर्गत पकड़िया कब्रिस्तान एवं गोढ़ियारी कब्रिस्तान एवं घोघरडीहा प्रखंड अन्तर्गत छजना कब्रिस्तान एवं दिपिया टोल एवं मधेपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुन्दर बिराजीत स्थित शंकरपुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित कब्रिसानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण करवाना

*19 श्री प्रदीप कुमार––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत शाहपुर ओ०पी० का भवन काफी जर्जर है, जिससे पुलिस जवानों को रहने एवं कागज फाईल रखने में काफी परेशानी होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शाहपुर ओ०पी० का भवन का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार उपलब्ध कराना

* 20. श्री अख्तरूल ईमान—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य का आर्थिक विकास दर 14.46 प्रतिशत है जिसमें किशनगंज जिला का विकास दर केवल 4.61 प्रतिशत है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किशनगंज में उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुये किशनगंज जिला के विकास दर में वृद्धि कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

* 21. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत हलसी, रामगढ़, लखीसराय, सूर्यगढ़ा एवं चानन प्रखंडों में धान, रब्बी एवं मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में धान, रब्बी एवं मक्का पर आधारित उद्योग नहीं होने के कारण किसानों को धान एवं मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

* 22. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बौलिया ग्राम पंचायत का मतदान केन्द्र संख्या 94, वार्ड संख्या 2 और 3 से करीब 2 कि0मी0 दूर बौलिया मदरसा में स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बौलिया वार्ड संख्या 2 और 3 में मतदाताओं की संख्या 1,000 है और वहीं राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का भवन बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बौलिया ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र संख्या 94 को राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, बौलिया में स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

चढ़ाव एवं उतराव का खर्च

* 23. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के ग्राम–अधरवाड़ी एवं पानापुर प्रखंड के ग्राम–महम्मदपुर तथा सहवाजपुर में भारत सुगर मिल, सिधवलिया, जिला–गोपालगंज द्वारा पेराई वर्ष 2012–13 क्रय केन्द्र स्थापित की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गन्ना क्रय केन्द्रों पर उचित रोशनी, तौल का अभिलेख का संधारण गन्ना पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन जो करना है वह नहीं हो रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गन्ना का चढ़ाव एवं उतराव का खर्च मिल मालिक को भुगतान करना है जबकि मिल मालिक के द्वारा ही किसानों से गन्ना का चढ़ाव एवं उतराव खर्च इस वित्तीय वर्ष में लिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना क्रय केन्द्रों पर रोशनी, तौल अभिलेख का संधारण एवं किसानों से गन्ना के चढ़ाव एवं उतराव खर्च उक्त गन्ना मिलों से ही कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित करना

* 24. डॉ0 अच्युतानन्द––दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 18 जनवरी, 2014 के अंक में छपी खबर "फिर भी नहीं आये बड़े उद्योग" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2006 और वर्ष 2011 में नई उद्योग नीति लागू हुई जिसमें बाहरी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिये काफी सुविधाएँ दी गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि नई उद्योग नीति लागू होने के बाद भी राज्य में 500 करोड़ से ऊपर का एक भी उद्योग स्थापित नही हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में बड़े उद्योग स्थापित कराने के लिये कौन–सी कार्रवाई करने का कबतक विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

* 25. श्रीमती मनोरमा प्रसाद ––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के मलाहा बलुआ, सिसवा, सरैया, ओसवलिया, वार्ड 19, तदवानंदपुर बिहरी टोला एवं नौतन प्रखंड के पूर्वी नौतन शेख टोली, दक्षिण तेलहुआ, बुधबलिया, बरदाहा, सिहुलिया, प0 नौतन, इसलामपुर, खाप टोला, देवान टोला, बरदाहा, हरिनगर, सनसरैया के कब्रिस्तान के घेराबंदी का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी करवाना

* 26. श्री प्रदीप कुमार––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखंड के कचना टॉड, पडरिया तथा धमौल के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तानों के जमीन का असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की स्थापना

* 27. श्री अब्दुल गफूर––क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत महिषी प्रखंड के भेलाही, लिलजा, नवहट्टा प्रखंड के नारायणपुर, डरहार, पड़ताहा एवं सतर कटैया के मोकमा एवं विजलपुर एक बड़ी आबादी वाला गाँव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में अबतक कोई बैंक की शाखा नही खुली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों में बैंक की स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?

थाना खोलना

*28. श्री (डॉ०) कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मोहड़ा प्रखंड के गाँव के लोगों को अतरी थाना जाने में 30 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहड़ा में पुलिस पिकेट नहीं है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोहड़ा प्रखंड में थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियंत्रण में देना

*29. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित छजना पंचायत पूर्ण रूप से एवं रामनगर का आंशिक भाग का नियंत्रण लौकही थाना के अधीन है । जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं हो पाता है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित छजना पंचायत के गाँव को घोघरडीहा अथवा फुलपरास थाना क्षेत्र के नियंत्रण में देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*30. श्री अवधेश कुमार राय--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का नीतिगत निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मंसूरचक अंचल के आलम चक, सरायनूर नगर, कस्टोली, मस्कंद दरगाह तथा भगवानपुर अंचल के अकरूआ एवं बनवारी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है ?

विलोपित करने का औचित्य

*31. श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 17891, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 द्वारा खतवे जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 19 से विलोपित कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विलोपन के बाद खतवे जाति को न तो पिछड़ा, न ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में रखा गया है जिसके कारण खतवे जाति के लोगों को किसी श्रेणी का जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खतवे जाति को जाति के वर्गों से विलोपित करने का क्या औचित्य है और उस जाति के लोगों को जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा और क्षति हो रही है, उसके लिये कौन जिम्मेवार हैं ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*32. श्रीमती ज्योति देवी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड मोहनपुर के ग्राम पंचायत भरहरा के ग्राम लई, भातुचक जदवाचक, बगुला के ग्राम रोंदवा एवं पंचायत सिरियांवा के ग्राम-बलियारी में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की भूमि का घेराबन्दी के अभाव में अतिक्रमण हो रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*33. श्री विक्रम कुँवर—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध इंदिरा आवास वितरण में राशि के भवन का मामला सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान के आदेश पर रघुनाथपुर थाना कांड सं० 222/13 छः माह पूर्व दर्ज किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करना चाहती है ?

खोजी कुत्तों की संख्या बढ़ाना

*34. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के 38 जिलों में जुर्म की तफ्तीश के लिये मात्र 12 कुत्ते ही हैं, जिसमें से आधे कुत्ते उम्रदराज हो गये हैं, जिससे राज्य में जुर्म तफ्तीश में प्रशासन को काफी परेशानी होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के 38 जिलों में जुर्म की तफ्तीश करने हेतु खोजी कुत्तों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नयी कमिटी को रद्द करना

*35. डॉ० दाउद अली—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला वक्फ कमिटी द्वारा गोलकपुर कब्रिस्तान वक्फ नं० 2153/93 की जाँच में कब्रिस्तान कमिटी द्वारा किराया नहीं दिये जाने, अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाये जाने के बावजूद भी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मेमो नं० 202, दिनांक 20 फरवरी, 2013 को उन्हीं आरोपित सदस्यों को सम्मिलित कर नया कमिटी गठन किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर गठित नयी कमिटी को रद्द करते हुये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

*36. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के गरीब बुनकरों के सहयोग हेतु गरीब बुनकर आवास-सह-कार्यशाला एवं क्रेडिट कार्ड देने की योजना वर्ष 2005 से चला रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड में गरीब बुनकरों को अभीतक न ही आवास-सह-कार्यशाला एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हुआ है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नबीनगर के बुनकरों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी पूर्ण कराना

*37. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केसरिया प्रखंड के धनगाढ़हा में कब्रिस्तान की घेराबंदी अधूरा होने से वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की पूर्ण घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नया थाना खोलना

*38. श्री मंजीत कुमार सिंह--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2014 में छपे खबर ''गंडक दियारा नक्सलियों की शरण स्थली'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर में मीराटोला में नक्सलियों के द्वारा दो हत्या तथा सतर घाट गंडक पुल निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जलाने की घटना 29 दिसम्बर, 2013 को घटित हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैकुण्ठपुर में राजापट्टी का सीमावर्त्ती क्षेत्र मशरक, पानापुर, तरैया, जहां पूर्व से नक्सलियों का शरण स्थली रहा है जिसे आये दिन नक्सलियों द्वारा बैकुण्ठपुर के राजापट्टी क्षेत्र में घटना की जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बैकुण्ठपुर थाना से राजापट्टी एवं बैकुण्ठपुर थाना अन्तिम सीमावर्त्ती क्षेत्र गंडक दियारा के मुजफ्फरपुर से जुड़ा है जो बैकुण्ठपुर थाना से 20 कि०मी० से अधिक दूरी पर अवस्थित है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजापट्टी में नया थाना खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*39. श्री वैद्यनाथ सहनी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मोरवा हलई ओ०पी० भाड़े के मकान में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हलई ओ०पी० के निकट उत्तर में ग्राम पंचायत पंचभिन्डा में बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन का अधिग्रहण कर ओ०पी० भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

निर्माण कराना

*40. श्री अम्बिका सिंह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के अन्तर्गत रामगढ़ विधान-सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने से अल्पसंख्यक छात्रों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रामगढ़ विधान-सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*41. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के सारा मोहम्मदपुर पंचायत के ग्राम-छपकी के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खुलवाना

*42. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र प्रभात खबर में दिनांक 21 जनवरी, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के लिये कुछ कीजिए गवर्नर साहब'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की आबादी वर्ष 2011 के अनुसार 10.41 करोड़ है और यहां बैंकों की कुल शाखायें 5454 है, जबकि केन्द्र सरकार एवं आर०बी०आई के गाइड लाइन के मुताबिक प्रति 2000 की आबादी पर एक बैंक शाखा का होना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 571 बैंक शाखायें खोलनी थी, लेकिन 30 सितम्बर, 2013 तक मात्र 122 शाखायें ही खुल सकी है, वहीं निजी बैंकों ने 67 की तुलना में मात्र 24 शाखायें ही खोली हैं, कुल मिलाकर सूबे में 750 बैंक शाखाओं की जगह 184 शाखायें ही खुल सकी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर०बी०आई० गाइड लाइन के मुताबिक बैंकों के शाखा खुलवाने के लिये कौन-सी उपाय करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*43. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के ग्राम-पंचायत जलालपुर में खाता नं०-174 खेसरा नं०-455 रकबा 1-12-6 धूर जमीन कब्रिस्तान के नाम से निबंधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि सरकार के नाम से निबंधित होने के बावजूद अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 17 फरवरी, 2014 (ई०) ।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 136 डी०टी०पी० 450